

Hindi Update on refund claim in respect of wrongly paid or Excess paid amount

COVID-19 के तहत सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 16/2020-Central Tax दिनांक 23-03-2020 किया इसमें धारा 86(4A) एवं और 92 (1A) Clause Inserted किया है जिसका नीचे डिस्कशन इस प्रकार है :

Section 86(4A)- इसके अंतर्गत यदि taxpayer द्वारा Tax गलत paid या अधिक भुगतान कर दिया है जोकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट हो गया है उसका रिफंड उसी अनुपात में क्रेडिट तथा नकद में मिलेगा जिस अनुपात में जीएसटी tax का भुगतान किया गया है ।

Section 92(1A)-यदि taxpayer का रिफंड Zero Rated refund/ deemed export का refund के अलावा है तथा ऑफिसर यह मानता है की टैक्सपेयर को रिफंड बनता है तो वह RFD-06 द्वारा रिफंड sanction कर सकता है पर उसे refund क्रेडिट व cash में अनुपात के हिसाब से रिफंड देना होगा। क्रेडिट PMT 03 द्वारा दिया जा सकता है। इसको उदाहरण से भी समझा जा सकता है:-

Example : यदि taxpayer द्वारा किसी month में ड्यूटी liability 1000000/- होती है और उसमें से 800000/- Input tax credit द्वारा एवं 200000 लाख Cash भुगतान करना होता है। परंतु किसी भूल वंश GST 1000000/- लाख के स्थान पर 1200000/- paid हो जाती है तो उस स्थिति में Refund taxpayer को proportionate मिलेगा जो इस प्रकार होगा:-

Paid Through Input Tax Credit = 800000

Cash payment = 400000

Wrongly paid Rs. 200000

$400000/1200000 * 200000 = 66667/-$

उपरोक्त स्थिति में taxpayer को रिफंड अमाउंट 66667/- प्राप्त हो रही है।

परंतु अगर हम देखें तो taxpayer द्वारा नकद में ₹200000 जमा कराए गए हैं तथा logic के हिसाब से भी उसे रिफंड cash में ही मिलना चाहिए था। इसकी जगह पर यह rule लाना चाहिए था। Taxpayer द्वारा अगर सही रिटर्न भरा जाता तो कितना टेक्स्ट नगद तथा कितना क्रेडिट में जमा होता तथा भूल वंश जो रिटर्न जमा कराया गया उसमें कितना नकद और कितना क्रेडिट से टैक्स जमा कराया गया। दोनों में difference जिस भी head में आता है उसी में रिफंड दे दिया जाता। कहने का मतलब यह है कि अगर

cash ज्यादा जमा हुआ है तो रिफंड cash में दे दिया जाता। परंतु अगर क्रेडिट में से ही टैक्स ज्यादा जमा हुआ है तो रिफंड credit में ही दे दिया जाता। अगर उपरोक्त उदाहरण को देखें तो Rs.200000/- Cash में टैक्स का भुगतान ज्यादा हुआ है परंतु उसे रिफंड Rs. 133333/- प्राप्त हो रही है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस पूरे प्रोसीजर को समझाने के लिए सरकार ने एक सर्कुलर 135/05/2020 dated 31/03/2020 भी जारी किया है। परंतु हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इन Rules को एक बार फिर देखा जाए तथा हमने जैसा ऊपर बताया है उसी हिसाब से रिफंड दिया जाए।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>.